न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 03 / 2018
RCMS No. 2018/00018

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
प्रकाशसिंह पुत्र शिवजी सिंह जाति माली निवासी सोजतरोड़ तहसील सोजत		1. लक्ष्मी कच्छवाह पत्नी अजयसिंह जाति माली निवासी सोजतरोड़ 2. ग्राम पंचायत सोजतरोड़ जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री मदनलाल सोनी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक:– 5-3-18

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सोजतरोड़ द्वारा मिसल संख्या 154 / 2016–2017 में पारित संकल्प संख्या 5 दिनांक 20.12.2017 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 78 / 23 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत सोजतरोड़ के समक्ष दिनांक 27.03.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने पैतृक आवासीय मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया है, जिस प्रार्थना पत्र को ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी मिसल दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 20.12.2017 को जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया। जिस भूमि का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया कि वह भूमि पैतृक भूमि है, जिसमें प्रार्थी का भी हक हिस्सा निहित है, जिसकी ताईद अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से भी होती है, जिसमें उन्होने उक्त भूमि को पैतृक होना माना है। उक्त भूमि का पट्टा वर्ष 1947 में जारी किया हुआ है, जिस भूमि में प्रार्थी का 1 / 2 हिस्सा निहित है। इस कारण ग्राम पंचायत को जैर निगरानी वादस्थ भूमि का पट्टा जारी करने की अधिकारिता ही नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसके साथ वांछित भूमि का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही शुल्क जमा करवाया, जबकि नक्शा प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है। इसके पश्चात जो नक्शा पत्रावली में प्रस्तुत हुआ है, वह ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है, जो विधि अनुसार नहीं है। इसके पश्चात जिन वार्ड

अति० जिला कलक्टर, पाली

पंचों को मौका निरीक्षण हेतु दिनांक 05.06.2017 को मनोनीत किया गया, वे वार्ड पंच उक्त बेठक में मौजूद ही नहीं थे। उक्त प्रस्ताव बिना कोरम की पूर्ति के पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। दिनांक 06.09.2017 की आदेशिका अनुसार वार्ड पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होना बताया, किन्तु उक्त दिनांक को पंचायत की बैठक ही नहीं हुई, इस कारण यह आदेश आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है। जैर निगरानी मिसल में जो नोटिस जारी किया गया है, वह विधिवत चस्पा भी नहीं किया गया, मात्र कागजी खानापूर्ति करते हुए समस्त कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 को यह भली भांति जानकारी थी कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में विभाजन का वाद विचाराधीन है, इसके बावजूद भी उन्होने ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी मिसल के जरिये पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 की आयु 35 वर्ष है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर 40–60 वर्ष पुराना कब्जा होना जाहिर किया है, जो तथ्य विरोधाभाषी है। उक्त प्रकरण की प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष लिखित आपत्ति प्रसतुत की, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी की आपत्ति को बिना रेकर्ड पर लिए एवं बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित प्रस्ताव संख्या 5 पारित कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। उक्त भूमि शिवजीसिंह की भूमि थी तथा शिवजीसिंह के दो पुत्र थे, जो प्रकाशसिंह एवं राजेशसिंह है। शिवजीसिंह द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को इस भूमि बाबत किसी भी रूप से अधिकृत नहीं किया है। चूंकि उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पति/ससुर की पैतृक भूमि है, जिसमें प्रार्थी का प्रत्यक्ष हित निहित है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत सोजतरोड़ के समक्ष दिनांक 27.03.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने आवासीय मकान का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया तथा उक्त आवेदन पत्र में वांछित भूमि के पडौस आदि अंकित किए। प्रार्थी पुश्तैनी भूमि को जिस रूप में परिभाषिक कर रहे है, वह विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि अप्रार्थी के ससुर के कब्जे में थी तथा आवासीय मकान निर्मित था, जो कालान्तर में अप्रार्थी को अन्तरित होने पर अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रसतुत किया है। इस कारण उक्त भूमि को पुश्तैनी बताते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कोई विधिक अनियमितता नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के बाबत सिविल कोर्ट में वाद विचाराधीन होना जाहिर किया, जबकि इन कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया। जबकि वास्तविकता यह है कि इस भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में शिवजीसिंह के नाम वर्ष 1947 में पट्टा जारी हो चुका है। उक्त पट्टे में वर्णित पडौस एवं जैर निगरानी पट्टे में वर्णित पडौस का मिलान ही नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उक्त तथाकथित पट्टे की फोटा प्रति प्रस्तुत की है, जो संदेहास्पद है तथा साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। इस कारण प्रार्थी द्वारा बताए गए समस्त तथ्य सत्य से परे है। यदि जैर निगरानी पट्टे की भूमि शिवजीसिंह की होती, जो उनके खाते में दर्ज होती, जबकि भूमि ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज है, जो राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 आबादी दर्ज है। जैर निगरानी आज्ञा की पालना में जारी पट्टे का पंजीयन हो चुका है तथा पंजीबद्ध

अति० जिला कलक्टर, पाली

दस्तावेज को शून्य प्रभावी घोषित करने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर एकमात्र सिविल न्यायालय को होने से भी निगरानी सारहीन है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 1977 पेज 131 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने आवासीय मकान का पट्टा जारी कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः निगरानी खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि चूंकि उक्त भूमि के हक अधिकार ग्राम पंचायत में निहित ही नहीं थी। इस कारण ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी। एक तरफ अप्रार्थी उक्त भूमि के खसरा नम्बर बता रहे है तथा दूसरी तरफ पैतृक सम्पति बता रहे है। आवेदन पत्र के साथ नक्शा प्रस्तुत करना पड़ता है तथा यदि नक्शा नहीं प्रस्तुत किया जाता है, तो नक्शा शुल्क पेश करना पडता है, जो नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम सेवक के हस्ताक्षर भी नहीं है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध की गई है। अतः पट्टा खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सोजतरोड़ द्वारा मिसल संख्या 154/2016–2017 में पारित संकल्प संख्या 5 दिनांक 20.12.2017 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 78/23 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सोजतरोड़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवासीय मकान का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया, जिस पर सरपंच द्वारा सचिव को अप्रार्थी से नियमानुसार शुल्क लेकर पत्रावली कायम करने के आदेश दिए, जिसकी पालना में जरिये रसीद संख्या 87 दिनांक 27.03.2017 राशि 120/– पंचायत कोष में जमा किए। इस पर दिनांक 27.03.2017 को मिसल कायम करने के आदेश पारित किए। नक्शा शुल्क आदि जमा होने पर नक्शा मौका तैयार कर संलग्न मिसल किया गया। इसके पश्चात मिसल दिनांक 05.06.2017 को प्रस्तुत होने पर तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। मनोनीत पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का निवेदन किया। इसके पश्चात दिनांक 06.09.2017 की आदेशिका अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने का अस्थाई निर्णय लिया जाकर स्थाई पट्टा जारी करने हेतु एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह दो स्वतन्त्र व्यक्यिों की उपस्थिति में चस्पा किया गया है। इसके पश्चात मिसल दिनांक 05.12.2017 को पेश हुई। जिसमें गवाह के बयान कलमबद्ध किए गए। गवाह समन्दरसिंह द्वारा अपने बयानों में जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का 40–60 वर्षो पुराना कब्जा

अति० जिला कलक्टर, पाली

होना जाहिर किया। जिसके पश्चात दिनांक 20.12.2017 के जरिये नियम 157 (ख) के तहत नियमानुसार शुल्क वसूल कर पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोदन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से जो आधार लिए गए है, वे यह है कि प्रथमतः वकील प्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे की भूमि शिवजीसिंह की होकर अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए उसमें स्वयं का हक हिस्सा होना जाहिर किया। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी। इस प्रकार जैर निगरानी वादस्थ भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं ? इस तथ्य का निर्धारण करने हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। वकील प्रार्थी द्वारा द्वितीय आधार यह लिया गया कि उक्त भूमि पर पूर्व में शिवजीसिंह के नाम पट्टा जारी किया गया है, इस कारण जैर निगरानी पट्टा शून्य

अति० जिला कलक्टर, पाली

प्रभावी है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर जो रेकर्ड उपलब्ध करवाया गया है, वह जोधपुर स्टेट द्वारा दिनांक 19.08.1947 को जारी पट्‌टे की फोटोप्रतियां है, प्रथमतः उक्त दस्तावेज न तो सक्षम अधिकारी/नोटेरी से प्रमाणित है तथा न ही प्रार्थी द्वारा स्व–प्रमाणित किए है, जिनके कारण उक्त पट्‌टे की विश्वसनीयता संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त उक्त तथाकथित पट्‌टा दिनांक 19.08.1947 में अंकित पड़ौस एवं जैर निगरानी पट्‌टे की भूमि में अंकित पड़ौस का मिलान नहीं होता हैं, जिसके कारण यह स्वीकृत तथ्य नहीं है कि जैर निगरानी पट्‌टे की भूमि पर पूर्व में पट्‌टा जारी हो चुका था। वकील अप्रार्थी द्वारा यह उज्र किया कि जैर निगरानी पट्‌टा रजिस्टर्ड हो चुका है, इस कारण पट्‌टे को अपास्त करना इस न्यायालय में क्षैत्राधिकार में नहीं है। इन कथनों में समर्थन में वकील अप्रार्थी द्वारा जो न्यायिक सिद्धान्त आर0एल0डब्ल्यू0 1977 पेज 131 में प्रतिपादित सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की, उसका हू–ब–हू उद्धरण इस प्रकार है कि "Civil Procedure Code-Sec. 9 - Suit for cancellation of sale deed of agricultural land and perpetual injunction is triable by Civil Court. Relief of preprtual injuction held to be anciliary." उक्त न्यायिक सिद्धान्त सम्माननीय अवश्य है, किन्तु तथ्याभिन्न होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2003 (2) पेज 996 श्रीमति बसंतीदेवी बनाम नेनालाल के का0मु0 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Consititution of India, 1950- Article 226-Locus Standi- registered lease deed- Petitioner's claim is that way has been obstructed-Registered lease deen can not cancelled by administrative order- Petitioner can approch the civil Court for his right" निगरानी की अधिकारिता के तहत मात्र प्रक्रिया को ही चुनौती दी जा सकती है तथा प्रक्रिया को ही परिक्षित किया जाना है। अब जहां तक जैर निगरानी आज्ञा एवं उसक आज्ञा की पालना में जारी पट्‌टे में अपनाई गई प्रक्रिया का प्रश्न है, तो प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण प्रक्रिया की पालना की गई है तथा पंचायत कोरम द्वारा जैर निगरानी आज्ञा पारित की है। प्रार्थी का यह कथन है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही जैर निगरानी पट्‌टा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही ग्राम पंचायत की बैठक के विवरण अथवा मिसल के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है, जो प्रार्थी के इन कथनों की ताईद करता हो। इस प्रकार मात्र तकनीकि कारणों से जैर निगरानी आज्ञा को विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज) 1999 पेज 459 हेमराज व अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य में अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं न्यायालय के अधिकारीयों की त्रुटी के लिये पक्षकार पीड़ित नही होना चाहिये।" इसी प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी न्यायालय की गलती की सजा पक्षकार को नही दी जा सकती है। मात्र सूक्षम प्रक्रियात्मक/तकनीकि त्रुटी के आधार पर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्‌टे को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उस आज्ञा की पालना में पट्‌टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, सोजतरोड़ द्वारा मिसल संख्या 154 / 2016–2017 में पारित संकल्प संख्या 5 दिनांक 20.12.2017 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 78 / 23 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 5-3-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली